भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त केमिकल प्रबंधन अनुभाग 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर – 474006	सत्यमेव जयते	**Government of India** **Ministry of Finance** **Central Bureau of Narcotics** **Office of the Narcotics Commissioner** ***CHEMICAL MANAGEMENT DIVISION*** **19,The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) – 474006**
☎(PBX) : (91) 751-2368996; FAX: (91) 751-2368111; E-MAIL: narcommr@cbn.nic.in; supdt-cmd@cbn.nic.in		
F.No. XVI/13A/07/PC/CMD/2025		**Dated: 07/05/2026**

PUBLIC NOTICE No. CMD-02/2026

The global struggle against narcotic drugs and psychotropic substances has reached a critical juncture. The rapid proliferation of New Psychoactive Substances (NPS) compounds that mimic the effects of controlled drugs yet remain outside legal regulation has intensified the challenges faced by enforcement and regulatory agencies worldwide.

At the core of this threat lies the misuse of precursor chemicals, which serve as essential building blocks in the illicit manufacture of hazardous psychoactive substances. Therefore, ensuring strict vigilance over the trade of these chemicals is imperative to prevent their diversion into illegal drug production.

Recent domestic and international intelligence signals indicate a significant increase in the trade of certain non-scheduled chemicals, specifically **2-Methylmethcathinone (2-MMC) (CAS No. 124691-71-6).** Although not universally controlled, this substance poses emerging high-risk challenges, as it can be easily repurposed for the clandestine synthesis of potent synthetic drugs. Its growing movement in global supply chains necessitates heightened attention and proactive regulatory intervention.

Consequently, the 2-Methylmethcathinone is hereby placed under the International Special Surveillance List (ISSL) provided by the Central Bureau of Narcotics (CBN) on its website https://cbn.gov.in vide Public Notice dated 20.05.2025. Additionally, the chemical is being added to the online portal https://cbnonline.gov.in for voluntary data submission.

In light of the aforementioned development, all exporters and traders of 2-MMC are advised to obtain a LIGHT-NOC from the Central Bureau of Narcotics (CBN) for legitimate business operations.

By
Narcotics Commissioner

भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त केमिकल प्रबंधन अनुभाग 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर – 474006	सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics Office of the Narcotics Commissioner *CHEMICAL MANAGEMENT DIVISION* 19,The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) – 474006
☎(PBX) : (91) 751-2368996; FAX: (91) 751-2368111; E-MAIL: narcommr@cbn.nic.in; supdt-cmd@cbn.nic.in		
F.No. XVI/13A/07/PC/CMD/2025		**Dated: 07/05/2026**

सार्वजनिक सूचना संख्या CMD-02/2026

मादक द्रव्यों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष एक अत्यंत गंभीर मोड़ पर पहुँच चुका है। नियंत्रित मादक पदार्थों के प्रभावों की नकल करने वाले, किन्तु विधिक नियंत्रण से बाहर रहने वाले नवीन मनःप्रभावी पदार्थों (New Psychoactive Substances - NPS) के तीव्र प्रसार ने विश्वभर की प्रवर्तन एवं नियामक एजेंसियों के समक्ष चुनौतियों को और अधिक बढ़ा दिया है।

इस खतरे के मूल में अग्रदूत रसायनों (Precursor Chemicals) का दुरुपयोग निहित है, जो खतरनाक मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण में आवश्यक आधारभूत घटकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः इन रसायनों के व्यापार पर कठोर निगरानी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इन्हें अवैध मादक पदार्थों के निर्माण हेतु मोड़े जाने से रोका जा सके।

हाल ही में प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं से यह संकेत मिला है कि कुछ गैर-अनुसूचित रसायनों, विशेष रूप से 2-मेथाइलमेथकैथिनोन (2-MMC) (CAS संख्या 124691-71-6), के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि यह पदार्थ सार्वभौमिक रूप से नियंत्रित नहीं है, तथापि यह उभरते हुए उच्च जोखिम की चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसे अत्यंत सरलता से शक्तिशाली सिंथेटिक मादक पदार्थों के गुप्त निर्माण हेतु पुनः प्रयोजित किया जा सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसकी बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इस पर विशेष सतर्कता एवं सक्रिय नियामक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।

फलस्वरूप, 2-मेथाइलमेथकैथिनोन को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) द्वारा अपनी वेबसाइट https://cbn.gov.in पर दिनांक 20.05.2025 को जारी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रदत्त अंतरराष्ट्रीय विशेष निगरानी सूची (International Special Surveillance List - ISSL) के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त रसायन को स्वैच्छिक डेटा प्रस्तुतिकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल https://cbnonline.gov.in में भी जोड़ा जा रहा है।

उपरोक्त विकास के परिप्रेक्ष्य में, 2-MMC के सभी निर्यातकों एवं व्यापारियों को वैध व्यावसायिक संचालन हेतु केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) से LIGHT-NOC प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

आदेशानुसार,
नारकोटिक्स आयुक्त